न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 291 / 2025

प्रार्थीः:–

नरेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगणः:–

1. प्रतापाराम पुत्र रूघनाथराम जाति सुथार निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. गणेशाराम पुत्र चमनाराम चौधरी निवासी सरवडी चारणन तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. चेनाराम पुत्र चमनाराम चौधरी निवासी सरवडी चारणन तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. भैराराम पुत्र चमनाराम चौधरी निवासी सरवडी चारणन तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. जोईताराम पुत्र थानाराम जाति कलबी निवासी सरवडी चारणान तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. जोगाराम पुत्र पदमाराम जाति कलबी निवासी सरवडी चारणान तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. नरसाराम दत्तक पुत्र हंसाराम जाति कलबी निवासी सरवडी चारणान तहसील समदडी जिला बालोतरा
8. हनुमानाराम पुत्र मगाराम जाति कलबी निवासी गोलिया चौधरीयान तहसील समदडी जिला बालोतरा
9. सुजाराम पुत्र थानाराम जाति कलबी निवासी गोलिया चौधरीयान तहसील समदडी
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
11. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री लादाराम परमार व श्री जयप्रकाश रामदेव वकील प्रार्थी
2. श्री जोगाराम वकील विप्रार्थी संख्या 1
3. श्री खीमाराम,हीराचन्द व श्री यशपालसिंह वकील विप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, 7 से 9,
4. विप्रार्थी संख्या 3 व 6 अनुपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संशोधित आदेश

दिनांकः— 08.06.2026

यह आवेदन प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी प्रतापाराम वगैरा के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत पेश किया गया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 1287 रकबा 01.1382 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोलिया चौधरियान तहसील समदडी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरे की बदिशा पश्चिम की ओर विप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी भूमि ख.स. 1288 व 1292 के पूर्वी माठ से लगता हुआ रास्ता आगे कटाण राजस्व कटाण सडक मार्ग खसरा संख्या 1229 तक जाता प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से बिन्दू संख्या ए से बी दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 से 9 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 से 9 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 9 को प्रभावित भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति राशि देने में अपनी सहमति व्यक्त की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 3 व 6 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री जोगाराम ने बिना प्रतिफल सहमति जाहिर की। विप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, 7 से 9 की ओर से वकील श्री खीमाराम उपस्थित होकर विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 9 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार समदडी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

विप्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया की तहसीलदार समदडी द्वारा रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की गई है विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में तारबंदी की गई है जिसका उल्लेख मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है उक्त मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थीगण को गुमराह करके हस्ताक्षर कर बनवाई गई है लिहाजा विप्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी से पुनः रिपोर्ट तलब की जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर बहस है की तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मौके पर ही बनाई गई जिसकी पुष्टि पक्षकारान के हस्ताक्षर से भली भांति होती है विप्रार्थीगण अधिवक्ता प्रकरण को लम्बा करने की नियत से पुनः मौका रिपोर्ट तलब करवाना चाहता है लिहाजा विप्रार्थी की आपत्ति वास्ते मौका रिपोर्ट पुनः तलब करने के अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया ,मौका रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है की उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारन की उपस्थित में बनवाई गई है। मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थीगण सुजाराम,जोईताराम, हनुमानाराम के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान मौजूद है यदि विप्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति थी तो मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान से इन्कार कर सकते थे, विप्रार्थीगण का यह कथन की विप्रार्थीगण को गुमराह कर मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये है स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा विप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते पुनःमौका रिपोर्ट आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा गोलिया चौधरियान तहसील समदडी अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 1287 रकबा 01.1382 हैक्टेयर भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आवागमन हेतु प्रार्थी के खेत के बदिशा पश्चिम में अवस्थित विप्रार्थी संख्या 5,6 व 9 की खातेदारी भूमि ख.सं. 1288 व 1290 के पूर्वी माठ से होते हुए राजस्व कटाण सवडव्क मार्ग खसरा संख्या 1229 से जुडता है उक्त प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी अधिवक्ता ने आगे बहस में निवेदन किया की प्रार्थना पत्र के विचरण के दौरान खसरा संख्या 1290 के खातेदारो द्वारा विवादित भूमि का बंटवाडा करवाये जाने से वर्तमान में खसरा संख्या 1290 के खातेदार विप्रार्थी संख्या 5 ,6 व 9 है, प्रार्थी को दीगर विप्रार्थीगण से कोई अनुतोष नहीं चाहिए, प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग हरा बिन्दू संख्या ए से बी को रास्ते घोषित कर, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का निवेदन कर विप्रार्थी 5 ,6 व 9 को रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में प्रार्थी ने वर्तमान डी.एल.सी. की दुगनी राशि दिये जाने की सहमति जाहिर की।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु खसरा संख्या 1870 / 1296 में वैकल्पिक रूप से कदीमी रास्ता मौजूद है प्रार्थी उक्त रास्ते से ही आवागमन करता है प्रार्थी का यह कथन मिथ्या है कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि से आवगमन करता है। प्रार्थी के पास आवागमन हेतु सुविधा उपलब्ध है इसलिए प्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता कायम नहीं कर सकता है प्रार्थी ने हठधर्मिता से अपना निर्धारित रास्ता छोड कर विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में नया रास्ता कायम करना चाहते है जो विधि विरूद्ध है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख) के बिन्दु (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार समदडी ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता समस्त विकल्पों में से निकटतम है। तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की दूरी विप्रार्थी द्वारा कथित वैकल्पिक रास्ते से कम है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गोलिया चौधरियान तहसील समदडी की खसरा संख्या 1287 रकबा 1.1382 हैक्टेयर भूमि आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1288 में 2 X 36 = 72 गट्टा अथार्त 0.0455 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 5, 6 व 9 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1290 की पूर्वी दिशा में 2 X 20 = 40 गट्ठा अर्थात रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग हरा से दर्शित भूमि पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 5,6 व 9 को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जावे, विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना प्रतिफल रास्ता दिये जाने से प्रस्तुत सहमति कारण विप्रार्थी संख्या 1 को क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी। विप्रार्थी संख्या 5, 6 व 9 द्वारा क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाया जाने के पश्चात तहसीलदार समदडी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2026/201 दिनांक 24.03.2026 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 08.06.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

नजरी नक्शा मौजा गोलिया चौधरियान
तहसील - समदड़ी
जिला - बालोतरा

① ग्रामीं द्वारा चाहा गया रास्ता ▬ A से B
② रास्ता हेतु अन्य विकल्प ▬ C से D

Ex-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

23-05-2024

प. सरपंच/सचिव
प्रतापाराम

गोविंद
हुंजाराम